# अब मोहल्लों के 'दादाओं' की उतरेगी नकाब

पटना | अतुल उपध्याय

पर्दे के पीछे बैठ अपराध का संचालन करने वालों की सरेराह नकाब उतरेगी। उनके मोहल्ले में उनके चौक पर। बकायदा कोर्ट लगेगा और ट्रॉयल चलेगा। खासबात यह होगी कि जिन इलाकों में उनकी दादागिरी चलती है, उसी मोहल्ले और इलाके के लोग आरोप लगाएंगे। राज्य पुलिस ने सीआरपीसी की धारा-110 को अब कारगर तरीके से लागू करने का मन बना लिया है। कानून तो पुराना है, लेकिन बिहार में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का कांसेप्ट डीजीपी अभयानंद का है।

करीब तीन दशक पहले तक कानून की इस धारा का प्रयोग बिहार में होता था, लेकिन बाद के दिनों में इसका प्रयोग धीरे-धीरे कम होने लगा। 70 के दशक में लोगों के बीच बीएल केस( बैड लाइवलीहुड ) काफी चर्चित था। अपराध को पेशा बना चुके लोगों में इसका खौफ था।

राज्य पुलिस के अधिकारियों की मानें तो कई ऐसे लोग हैं, जिनपर कोई केस नहीं होता लेकिन वे पर्दे के पीछे बैठकर गैरकानूनी काम को संचालित करते हैं। मसलन अवैध शराब का धंधा कराना, स्मगलिंग कराना व चोरों-डकैतों को पनाह देना, चोरी का माल बेचवाना जैसे अपराध को पर्दे के पीछे से संचालित करते हैं।

डीजीपी के अनुसार सीआरपीसी

## पहल

- परदे के पीछे से अपराध का संचालन करने वालों की खैर नहीं
- मोहल्लों में लगेगा कोर्ट, वहीं होगा ट्रायल और मिलेगी सजा
- धारा 110 को फिर से प्रभावी बनाएगी बिहार पुलिस: डीजीपी

की धारा 110 के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ उनके मोहल्ले में ही कोर्ट लगाकर ट्रॉयल चलाया जाएगा। इस धारा के तहत अच्छे आचरण के लिए उनसे बांड भी भरवाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जब वे एएसपी थे, तब धारा 110 का प्रयोग किया था। उनके एडीजी( मुख्यालय ) रहते भी नवादा, नालंदा, किशनगंज में इस धारा का प्रयोग किया गया था। सभी जिलों के एसपी को धारा-110 के प्रयोग के निर्देश दिए जा रहे हैं। वैसे हाल के दिनों में धारा-107 और धारा-116 को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है और इसके फायदे भी सामने आए हैं। इस बार दुर्गापूजा में धारा-116 के तहत वैसे लोगों से बांड भरवाए गए, जिनका नाम कभी न कभी साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के मामले में आता रहा है। दूसरी तरफ शांति भंग न हो इसको ध्यान में रखकर चुनावों के दौरान धारा-107 के तहत बांड भरवाए जाते रहे हैं और हिंसामुक्त चुनाव में इससे मदद भी मिलती रही है।